

# **PRESS NOTE MEERUT RANGE**

## **जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.04.19**

**शादी समारोह में फायरिंग करके एक युवक को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार :-** थाना सिहानीगेट क्षेत्र के नंदग्राम विकलांग कॉलोनी में दिनांक 24.04.19 की रात्रि को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया था। थाना सिहानीगेट पर उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 669/19 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.19 को समय 18.35 बजे नगर निगम गेट से उक्त घटना (मु0अ0सं0- 669/19 धारा 307 भादवि) के फरार आरोपी दीपक पुत्र मुरारीलाल निवासी झुग्गी न0- 22 सीमापुरी, दिल्ली को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

**200 ग्राम नशीला पाउडर सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.19 को समय 10.30 बजे नसबंदी तिराहा से अभियुक्त आफ़ताब पुत्र जमील निवासी नसबंदी कॉलोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 200 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है।

**थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान पकडे गये बदमाश से लूट का माल खरीदने वाले**

**02 ज्वैलर्स गिरफ्तार व लूटे गये जेवरात बरामद:-** थाना लिंक रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/19 धारा 392/411 भादवि व 171/19 धारा 392/411 भादवि की विवेचना के दौरान अभि0 किशन लाल भूटानी उर्फ गौरव पुत्र तिलक राज भूटानी निवासी म0नं0 213 गली नं0 05 ज्वाला नगर कस्वा व थाना शाहदरा द्वारा बताये गये ज्वैलर्स के यहाँ दबिश देकर म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली से अभि0 डी.एन.डी. ज्वैलर्स दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नौवत सिंह नि0 म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली व गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली अभि0 विक्की पुत्र स्व0 शिवराम नि0 गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की व गिरफ्तार किये गये अभि0 गण से 02 अदद सोने की चैन व 01 चैन का टुकड़ा बरामद हुआ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नौवत सिंह नि0 म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली - सम्बन्धित मु0अ0सं0 177/19 धारा 41/102 CRPC व 411 IPC
2. विक्की पुत्र स्व0 शिवराम नि0 गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली - सम्बन्धित मु0अ0सं0 177/19 धारा 41/102 CRPC व 411 IPC

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0स0 736/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
2. मु0अ0सं0 642/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
3. मु0अ0सं0 700/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम

गिरफ्तारी घटनास्थल – म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली व गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली

### बरामदगी :

अभि0 दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नौवत सिंह

1. 01 अदद सोने की चैन – सम्बन्धित मु0अ0स0 700/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम

अभि0 विक्की पुत्र स्व0 शिवराम

1. 01 अदद सोने की चैन - मु0अ0स0 736/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
2. 01 चैन का टुकड़ा – मु0अ0सं0 642/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम

**149 पच्चा अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना विजयनगर पुलिस द्वारा दिनांक 26.04.19 को समय 11.10 बजे सम्राट चौक से अभियुक्त रजा पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 149 पच्चे अवैध शराब अंग्रेजी हरियाणा मार्का बरामद हुई है |

**एक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद :-** थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिनांक 26.04.19 को समय 10.50 बजे अगरौला से अभियुक्त बिट्टू पुत्र इस्लाम निवासी वेस्ट करावलनगर जगत डेरी के सामने थाना खजुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया है| जिसके कब्जे से 03 मोबाइल फोन सम्बंधित मु0अ0सं0- 276/19 धारा 380 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी बरामद हुए है |

**04 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 1620 रूपये नकद व 52 ताश के पत्ते बरामद :-** थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 26.04.19 को समय 09.00 बजे GDA फ्लैट अर्थला से अभियुक्तगण 1. मुर्सलिम उर्फ भुट्टो पुत्र रिहिमुधीन निवासी मौहल्ला सिहानी थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद 2. पुष्पेन्द्र पुत्र सुंदर निवासी अम्बेडकर पार्क GDA फ्लैट अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 3. शमशाद पुत्र मौ0 रहीश निवासी संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 4. वसीम पुत्र यामीन निवासी पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 1620 रूपये नकद व 52 पत्ते ताश के बरामद हुए है |

# जनपद गौतमबुद्धनगर सराहनीय कार्य दिनांक 26-04-19

दिनांक 18/19-4-19 की रात्रि में मैट्रो इन्फोसुलेशन प्रा0लि0 डी-242 सैक्टर-63 के मैनेजर श्री पारितोष का अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण किया गया था, जिनको छोड़ने के लिए बदमाशों के द्वारा फिरौती के रूप में 10 लाख रू0 की माँग की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध श्री आकाश श्रीवास्तव के द्वारा थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 460/19 धारा 364ए भादवि0 पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, के द्वारा पुलिस अधीक्षक, नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में थाना फेस-3 के अतिरिक्त स्टार-1 एवं स्टार-2 टीम को सक्रिय किया गया। दिनांक 25-4-19 को स्टार-1, स्टार-2 पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 4 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 2 कारों सहित पर्थला चौराहे से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

## गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते:-

- 1-अरुण यादव पुत्र देवेन्द्र यादव निवासी रघुनाथपुर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, हाल पता जे-44 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष, शिक्षा एमबीए
- 2-सूर्या सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0-3 रामप्रसाद प्रधान वाली गली इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद। उम्र-22 वर्ष शिक्षा-बी0ए0
- 3-सुनील तंवर पुत्र जयवीर तंवर निवासी खैला थाना चॉदीनगर बागपत। शिक्षा-12वीं, उम्र-22 वर्ष
- 4-विपिन भाटी पुत्र लख्मी भाटी निवासी गढी शहदरा थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर। उम्र-29 वर्ष

## बरामदगी

- 1-ब्रेजा कार यूपी 14 डीवी 5050,
- 2-स्कोडा कार डीएल 8 सीएनए 4800

## फरार अभियुक्तों के नाम व पता:-

- 1-अंकित गुर्जर पुत्र विक्रम निवासी खैला थाना चॉदीनगर बागपत।
- 2-अंकित सिंह पुत्र इन्दुप्रकाश सिंह निवासी एस-2/326 आई-3 राजर्वीनगर भोजुवीर बनारस हाल पता 401 टावर 22 पारस टेयरा सै0-144 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
- 3-विककी पहलवान निवासी सैथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद।
- 4-टीटू निवासी आयानगर दिल्ली।
- 5-जितेन्द्र तंवर निवासी विनोदनगर दिल्ली।
- 6-5-6 अज्ञात

## आपराधिक इतिहास:-

- 1-अभियुक्त अरुण यादव पुत्र देवेन्द्र यादव निवासी रघुनाथपुर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, हाल पता जे-44 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद।

- 1-मु0अ0सं0 460 / 19 धारा 364ए भादवि0 थाना फेस-3 नोएडा ।
- 2- अभियुक्त सूर्या सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0-3 रामप्रसाद प्रधान वाली गली इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद ।
- 1-मु0अ0सं0 460 / 19 धारा 364ए भादवि0 थाना फेस-3 नोएडा ।
- 2-मु0अ0सं0 805 / 18 धारा 307 भादवि0 थाना सै0-39 नोएडा
- 3-अभियुक्त सुनील तंवर पुत्र जयवीर तंवर निवासी खैला थाना चॉदीनगर बागपत ।
- 1-मु0अ0सं0 460 / 19 धारा 364ए भादवि0 थाना फेस-3 नोएडा ।
- 2-मु0अ0सं0 2304 / 17 धारा 364ए भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 3- मु0अ0सं0 2417 / 17 धारा 307 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 4- मु0अ0सं0 2418 / 17 धारा 25 / 27 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 5- मु0अ0सं0 01 / 18 धारा 2 / 3 गैगगेस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 4-अभियुक्त विपिन भाटी पुत्र लख्मी भाटी निवासी गढी शहदरा थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर ।
- 1-मु0अ0सं0 460 / 19 धारा 364ए भादवि0 थाना फेस-3 नोएडा ।

#### घटना का विवरण:-

घटना का मुख्य सूत्रधार अरुण यादव है जिसने सूर्या व अंकित के साथ मिलकर उक्त घटना की योजना बनाई। अरुण विगत में डी-242 सै0-63 के एस-19 में टैंक एलॉयस सॉल्यूषन नाम के कॉल सैन्टर का संचालन करता था। डी-242 के ग्रउण्ड फ्लोर पर साहिल वर्मा के द्वारा भी एक कॉल सैन्टर का संचालन किया जा रहा था। आकाष श्रीवास्तव, साहिल वर्मा के कॉल सैन्टर में कार्य करता था। वर्ष 2018 में सायबर सैल द्वारा साहिल वर्मा के कॉल सैन्टर पर रैड की गयी और साहिल वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था एवं कॉल सैन्टर बन्द हो गया था। उसी के चलते अरुण ने भी अपना कॉल सैन्टर बन्द कर दिया था एवं आकाष डी-242 सै0-63 में श्री वैभव सिंघल की कम्पनी मैट्रो इन्फोसुलेशन प्रा0लि0 में कार्य करने लगा।

जनवरी 2019 में अरुण के द्वारा पुनः डी-242 में कॉल सैन्टर शुरू किया गया परन्तु सफल न होने के कारण फरवरी 2019 में बिना किराये का भुगतान किये फरार हो गया था। उसी दौरान कोलकता स्थित एक कॉल सैन्टर को धोखाधडी के माध्यम से प्राप्त होने वाले 25,000 डॉलर के ट्रॉसफर हेतु यू.एस.ए के फर्जी खाते को उपलब्ध कराने हेतु अरुण से सम्पर्क किया गया जिसने आकाष के द्वारा दिये गये यू.एस.ए के फर्जी खाते में पैसे ट्रॉसफर कराये। आकाष के द्वारा 25000 डॉलर अरुण को वापस नहीं दिये गये। उन्हीं रूपयों को लेकर दोनों में विवाद था।

उक्त बात अरुण के द्वारा अपने दोस्त सूर्या को बताई तथा आकाश को धमकाकर अपना रूपया वापस लेने की योजना बनाई। सूर्या ने उक्त कार्य के लिए अंकित गुर्जर (सूर्या एवं अंकित की दोस्ती जेल

में हुई थी) से बात की और अरुण की मुलाकात कराई। योजना के अनुसार दिनांक 18/19-4-19 की रात्रि अरुण, सूर्या, अंकित एवं अन्य सभी लोग सै0-62 में एकत्र हुए। अरुण के द्वारा सभी को आकाश का हुलिया और फोटो दिखाई गई। उसके बाद सभी घटना को अंजाम देने के लिए डी-242 सै0-63 के पास आये। अरुण कम्पनी से पहले ही रुक गया था। डी-242 कम्पनी में जाकर सूर्या व अंकित ने आकाश से बात की और 10 लाख देने को कहा। आकाश के द्वारा सूर्या व अंकित से कहा गया कि इस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं है, दिल्ली से पैसों का इतजाम करा सकता हूँ।

सूर्या एवं अंकित ने अपने 10-12 अन्य साथियों के साथ मिलकर आकाश के मैनेजर पारितोष का अपहरण कर लिया। उसके बाद पारितोष के फोन से ही कम्पनी के मालिक व आकाश से 10 लाख रू0 की माँग करने लगे और मालिक (वैभव सिंघल) को रूपया लेकर एम्स दिल्ली के पास बुलाया था, परन्तु बदमाशों ने अपने को पुलिस से घिरा देखकर अपहृत पारितोष को एम्स से आगे छोड़कर भाग गये।

अंकित गुर्जर पेशेवर अपराधी है जिसका अपना गैंग है, जिस पर हत्या, लूट आदि के कई अभियोग जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत एवं दिल्ली में पंजीकृत हैं।

घटना का अनावरण करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी टीम स्टार-1 नोएडा
- 2- उ0नि0 योगेश मलिक टीम स्टार-1 नोएडा
- 3- उ0नि0 विकास शर्मा टीम स्टार-1 नोएडा
- 4-कां0 1772 सुबोध कुमार टीम स्टार-1 नोएडा
- 5- कां0 95 वरुणवीर टीम स्टार-1 नोएडा
- 6- कां0 472 अंकुर टीम स्टार-1 नोएडा
- 7- कां0 2091 अंकित पंवार टीम स्टार-1 नोएडा
- 8-उ0नि0 यतेन्द्र सिंह टीम स्टार-2 नोएडा
- 9-मु0आ0 कृष्ण कुमार टीम स्टार-2 नोएडा
- 10-कां0 संदीप कुमार टीम स्टार-2 नोएडा
- 11-कां0 अमित कुमार टीम स्टार-2 नोएडा
- 12-मु0आ0 540 सुभाष मलिक सर्वेलॉस सैल सै0-6 नोएडा।

पुरस्कार:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर के द्वारा अनावरण व गिरफ्तारी में विशेष योगदान करने वाले उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा व स्टार-1 टीम को 5000 रू0 नगद/प्रशस्ति पत्र एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय पीयूश कुमार सिंह को प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है।

# प्रेस नोट दिनांक 26.04.2019 जनपद मेरठ

## थाना मेडिकल पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा व अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान जी दिनांक 22/04/2019 की रात्रि में ग्राम औरंगशाहपुर डिग्गी के पीछे स्थित मिलिट्री फार्म संख्या 026 पर मृतक राजीव उर्फ राजू S/O भगवान दास नि0 श्याम पुर पीएस बाबूगढ जिला हापुड का शव बरामद हुआ जो करीब 10 वर्ष से मिलिट्री फार्म ट्रैक्टर चलाने का कार्य कर रहा था जिसके सम्बन्ध मे दिनांक 24/04/2019 को मृतक की पत्नी श्रीमती आरती W/O स्व0 राजीव उर्फ राजू हाल पता- औरंगशाहपुर डिग्गी मूल पता श्याम पुर पीएस बाबूगढ जिला हापुड द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 241/19 धारा 302/506 भादवि बनाम 1. नदीम S/O मौ0 रजी नि0 कस्बा व थाना इंचौली मेरठ व 2. श्रीमती शमीम पत्नी बहादुर नि0 औरंगशाह पुर डिग्गी पीएस मेडिकल मेरठ व 3. मुसाहिद S/O नेक मौहम्मद नि0 हाल ट्यूबवैल संचालक मिलिट्री फार्म औरंगशाहपुर डिग्गी थाना मेडिकल मेरठ मूल निवासी ग्राम जगोलियो टोला गुलाब थान वीरतो थाना मधुबन जिला मोतियारी बिहार पंजीकृत कराया । जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा गृहण की गई । मुकदमा उपरोक्त के सफल अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के दिशा निर्देशन एव श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन महोदय के पर्यवेक्षण मे मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुये दिनांक 25/04/2019 समय 19.10 बजे अभियुक्तगण 1.श्रीमती शमीम पत्नी बहादुर नि0 औरंगशाह पुर डिग्गी पीएस मेडिकल मेरठ व 2. मुसाहिद S/O नेक मौहम्मद नि0 हाल ट्यूबवैल संचालक मिलिट्री फार्म औरंगशाहपुर डिग्गी थाना मेडिकल मेरठ मूल निवासी ग्राम जगोलियो टोला गुलाब थान वीरतो थाना मधुबन जिला मोतिहारी बिहार को अभियुक्ता शमीम के मस्कन से गिरफ्तार किया गया तथा दोनो अभियुक्तगणो की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल रस्सी प्लास्टिक बरामद की गई । विवेचना प्रचलित है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण :-** मृतक राजीव उर्फ राजू एवं अभियुक्ता श्रीमती शमीम करीब 04-05 साल से आपस मे सम्बन्ध थे । मृतक राजीव शमीम को अपनी पत्नी की तरह रखता था दोनो औरंगशाहपुर डिग्गी फार्म हाउस में मजदूरी करते थे । श्रीमती शमीम की लडकी गजाला भी अपनी माँ के साथ मजदूरी करने के लिए आर्मी फार्म हाउस मे जाती थी । दोनो ही नदीम ठेकेदार के यहाँ पर मजदूरी करते थी । वहीं पर अभियुक्ता शमीम की पुत्री गजाला से अभि0 मुसाहिद उपरोक्त के सम्बन्ध बन गये थे । यह बात मृतक राजीव को ठीक नही लगती थी । इसी बात को लेकर राजीव व मुसाहिद मे कई बार झगडा भी हुआ था तथा मृतक राजीव को यह भी शक था कि श्रीमती शमीम के सम्बन्ध किसी अन्य से भी है इस बात को लेकर भी राजीव व शमीम मे भी झगडा होता रहता था । राजीव के शमीम व मुसाहिद से इस प्रकार के व्यवहार लडाई झगडा करने से तंग व परेशान थी । मृतक राजीव, शमीम की लडकी गजाला व मुसाहिद के सम्बन्धो को लोगो के मध्य उजागर करता रहता था । शमीम अपनी लडकी की बदनामी व अपनी बदनामी को लेकर राजीव से रंजिश रखती थी और मन ही मन इससे बदला लेना चाहती थी । इसी बात को लेकर शमीम एवं मुसाहिद ने राजीव की हत्या की योजना बनाई और दिनांक 22/04/2019 की रात्रि करीब 21.00 बजे मृतक राजीव को उसके घर से शमीम एवं मुसाहिद खेत पर काम करने के बहाने बुलाकर ले गये और राजीव को नदीम के मिलिट्री फार्म हाउस पर शराब पिलाकर अधिक नशे मे हो जाने के बाद चारपाई पर गिराकर प्लास्टिक की रस्सी से कसकर राजीव का गला

दबाकर हत्या कर दी तथा रस्सी को पास में ही खेत में मिट्टी के नीचे दबाकर छिपा दिया था जिसे दोनों अभियुक्तगणों की निसादेही पर बरामद किया जा चुका है।

4-5 वर्ष से प्रेम प्रसंग थे

### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. श्रीमती शमीम पत्नी बहादुर नि० औरंगशाह पुर डिग्गी पीएस मेडिकल मेरठ
2. मुसाहिद S/O नेक मौहम्मद नि० हाल ट्यूवैल संचालक मिलिट्री फार्म औरंगशाहपुर डिग्गी थाना मेडिकल मेरठ मूल निवासी ग्राम जगोलियो टोला गुलाब थान वीरतो थाना मधुबन जिला मोतियारी बिहार

बरामदगी- हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद रस्सी प्लास्टिक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:- शमीम मु०अ०स० 241/19 धारा 302/506/34 भादवि थाना मेडिकल मेरठ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:- मुसाहिद मु०अ०स० 241/19 धारा 302/506/34 भादवि थाना मेडिकल मेरठ।

### थाना मेडिकल पुलिस द्वारा मोबाइल लूट गिरोह गिरफ्तार व लूटे गये मोबाइल बरामद

जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के दिशा निर्देशन में चलाये गये अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन महोदय के पर्यवेक्षण में थाना मेडिकल पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.2019 को चैकिंग के दौरान तेजगढ़ी चौराहे पर उ०नि० मुनेन्द्र सिंह व उ०नि० विष्णु सिंह के मय हमराही के मुखबिर की सूचना पर समय करीब 19.10 बजे मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तगण 1. शहजाद S/O मौ० अनीस निवासी-म०न० 1337 K- ब्लाक लोहिया नगर थाना खरखौदा मेरठ 2. मौ० फराज S/O मौ० रफीक निवासी K- ब्लाक लोहियानगर थाना खरखौदा मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूट के चार मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मो०सा० एवं नाजायज अस्लाह तमंचा एवं चाकू बरामद हुये। इस समबन्ध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। यदि किसी थाने से सम्बन्धित हो तो आवश्यक कार्यवाही करें। अभियुक्तगण शांतिर किस्म के लुटेरे हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. शहजाद S/O मौ० अनीस निवासी-म०न० 1337 K- ब्लाक लोहिया नगर थाना खरखौदा मेरठ
2. मौ० फराज S/O मौ० रफीक निवासी K- ब्लाक लोहियानगर थाना खरखौदा मेरठ

अभियुक्त शहजाद से बरामदगी - लूट के 02 मोबाइल (कम्पनी माइक्रोमैक्स)

अभियुक्त मौ० फराज से बरामदगी - लूट के 02 मोबाइल जिनमें से एक मोबाइल एप्पल व दूसरा जियो लाइफ

घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल - एफजैड बिना नम्बर प्लेट

### आपराधिक इतिहास-

1. शहजाद S/O मौ० अनीस निवासी-म०न० 1337 K- ब्लाक लोहिया नगर थाना खरखौदा मेरठ -  
मु०अ०स० 244/19 धारा 411/414 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ  
मु०अ०स० - 245/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मेडिकल जनपद मेरठ
2. मौ० फराज S/O मौ० रफीक निवासी K- ब्लाक लोहियानगर थाना खरखौदा मेरठ  
मु०अ०स० 244/19 धारा 411/414 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ  
मु०अ०स० 246/19 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मेडिकल जनपद मेरठ

### अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा होली चौक सैक्टर 1 माधवपुरम से अभियुक्त आकिल पुत्र बुन्दू नि0 इत्तेफाकनगर गली नं0 3 थाना लिसाडी गेट मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना ब्रहमपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

### अवैध चाकू सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना भावनपुर पुलिस द्वारा चन्द्रभान मिठाई की दुकान के पास ग्राम पचपेडा से अभियुक्त नन्हे पुत्र जमशेद नि0 ग्राम जेई थाना भावनपुर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना भावनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

### अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा लक्ष्मी नारायण धर्मशाला के पास से अभियुक्त सुनील राठौर उर्फ रिकू पुत्र रमेश चन्द नि0 173/174 सदर कबाडी बाजार तेली मौहल्ला लक्ष्मी नारायण धर्मशाला के पास सदर बाजार मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 लीटर शराब खाम बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

थाना परीक्षितगढ पुलिस द्वारा अगवानपुर बिजली घर के सामने से अभियुक्त दीपक पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम कूडी कमालपुर थाना मवाना मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 प्लास्टिक जरी कैन में 20 लीटर शराब खाम बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना परीक्षितगढ पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।